कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग बुदनी जिला – सीहोर
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबधित जानकारी

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुदनी जिला सीहोर का कार्यालय मध्य प्रदेश शासन के नियमों के तहत कार्य संम्पादन एवं सौपे गए कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थापित है। बुदनी अनुविभाग के अंर्तगत दो उप तहसील (टप्पा) शाहगंज एवंरेहटी आतें है। अनुविभाग में 28 पटवारी हल्के आते है।

अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के अधिनस्थ निम्नानुसार अधिकारी/ कर्मचारी आते हैः–

1. तहसीलदार 1 पद
2. नायब तहसीलदार 2 पद
3. सहायक ग्रेड 2 1 पद
4. सहायक ग्रेड 3 1 पद
5. वाहन चालक 1 पद
6. भृत्य 1 पद

अनुविभाग में पदस्थ तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के मध्य कार्यविभाजन किया गया है। जिसके अनुसार वे सौपे गए कार्य सम्पादित कर रहें है। अनुविभागीय कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों की नाम व कर्त्तव्य का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. श्री सी.एस. तिवारी सहायक वर्ग –2 दाण्डिक प्रवाचक
2. श्रीमती मंजुला संतोरे सहायक वर्ग –3 तहसील कार्यालय में अटेच
3. श्री रामकुमार दुबे सहायक वर्ग –3 प्रवाचक राजस्व

3 अनुविभागीय अधिकारी का पद प्रशासनिक एवं न्यायिक स्वरूप का है , अनुविभागीय अधिकारी के रूप में प्रशासनिक कार्यो के साथ साथ मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता , राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार न्यायालय के रूप में कार्य संपादित किया जाता है। इस पद के रूप में लोक न्याय अधिनियम म0प्र0 लोक परिसर बेदखली अधिनियम ,भू अर्जन अधिनियम ,भाडा नियंत्रण अधिनियम के अर्तगत सक्षम प्राधिकारी के रूप में न्यायाधीश के रूप में कार्य संपादित किया जाता है जबकि अनुविभागीय दण्डाधिकारी के रूप में दण्ड प्रकिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य संपादित किया जाता है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में संबंधित अधिनियमेां के प्रावधानों के अनुरूप कार्य संपादित किया जाता है।

प्रशासनिक कार्य के रूप में तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार /नायब तहसीलदार एवं उनका कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी के नियंत्रण में रहता है।

4. कार्यालय के द्धारा समय सीमा में कार्य निपटानें,गुणवत्ता एवं मात्रा संबधी शासन के मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। सिटीजन चार्टर के

तहत समय सीमा निर्धारित की गई है, इसके अतिरिक्त वरिष्ट कार्यालयों से प्राप्त होने वाले पत्रों पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाकर समयावधि में निराकरण का प्रयास किया जाता है ।

5. कार्यालय में उपयोग में आने वाले विभिन्न अधिनियम ,नियम आदि का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959
2. राजस्व पुस्तक परिपत्र
3. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम
4. मध्यप्रदेश भाडा नियंत्रण अधिनियम
5. भू अर्जन अधिनियम 1894
6. दण्ड प्रकिया संहिता 1973
7. मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम
8. मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम
9. सिविल प्रकिया संहिता
10. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
11. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993
12. मध्यप्रदेश खाघ पदार्थ नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम 1991
13. स्वागत एवं सत्कार अधिकारी तहसील बुदनी
14. वाहन अधिग्रहण अधिकारी
15. सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश परिसर बेदखली अधिनियम के अंर्तगत तहसील बुदनी
16. ऋण निवारण के अधिनियम के अंर्तगत पीठासीन अधिकारी तहसील बुदनी
17. कलेंक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्धारा समय समय पर सोपे गए अन्य कार्य

7. इस कार्यालय में संधारित किए जाने वाले विभिन्न अभिलेखों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. उपस्थिति पंजी
2. राजस्व प्रकरणेा की दायरा पंजी
3. अर्थ दण्ड पंजी
4. अपील प्रकरणों की दायरा पंजी
5. आदेशिका पंजी
6. केश बुक
7. अभिलेख पास बुक
8. सिटीजन चार्टर पंजी
9. सूचना के अधिकार पंजी
10. राजस्व अधिकारियों /सार्वजनिक वाद सूची
11. दाण्डिक प्रकरणों की दायरा सूची

8. अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में ऐसी कोई समिति की संरचना नही की जाती है।
9. अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में ऐसी कोई समिति अथवा बोर्ड नहीं है जानकारी निरंक है।
10. अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मे पदस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों की वेतनमान सहित जानकारी निम्नानुसार है :–

1.श्री विकास मिश्रा अनुविभागीय अधिकारी	10000–15200
2. श्री सी.एस.तिवारी स.ग्रे. –2	4000–6000
3. श्रीमती मंजुला संतोरे स.ग्रे. –3	3050–4590
4. श्री रामकुमार दुबे स.ग्रे –3	3050–4590

उपरोक्त अधिकारी /कर्मचारियों को मकान भाडा भत्ता आदि की सुविधाऐं मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत प्राप्त होती है।

11 अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के द्वारा कोई राशि आहरित एवं वितरित नहीं की जाती है और न ही अनुविभागीय अधिकारी आहरण वितरण अधिकारी होते है। यहां तक की अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यालय स्टाफ के भत्ते जिला कार्यालय सीहोर से आहरित होते है।

12. अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में ऐसे कोई कार्यक्रम संचालित नहीं होते है कि इसके लिए कोई राशि का आबंटन हितग्राहियों का चयन आदि का कार्य किया जाता है अतः जानकारी निरंक है।

13. कडिका 12 के अनुसार जानकारी निरंक है ।

14. अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में राजस्व विभाग से संबधित जानकारियां अभिलेखें संबधित उपलब्ध रहती है। जहां तक राजस्व विभाग का प्रश्न है तो भूमि के कम्प्युटीकृत जैसे खसरा खतोनी नक्शा तहसील से उपलब्ध होती है।

15. कार्यालय मे आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

16. शासन के निर्देशानुसार सूचना के अधिकार के तहत अनुविभागीय अधिकारी बुदनी को अनुविभाग स्तर पर लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, जबकि तहसील स्तर पर तहसीलदार को लोक सूचना अधिकारी / नायब तहसीलदार को सहायक सूचना अधिकारी बनाया है।तहसील स्तर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी होगें। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार को सहायक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

.

अनुविभागीय अधिकारी
बुदनी